रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 1996/ज्येष्ठ 31, 1918
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1996/JYAISTHA 31, 1918

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1996

का. आ. 449(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, दिल्ली, जिनके पक्ष में धारा 57 के अंतर्गत भारत सरकार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य और शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 18011 (28)/67-यू. डी. दिनांक 14-2-1969 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई थीं, के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यथा अद्यतन संशोधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध और निपटान) विनियम-1968 में अतिरिक्त विनियम संख्या 60 जोड़ दिया है, जो निम्न प्रकार है :—

"विनियम संख्या 60—इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए प्राधिकरण किसी विनियम की अपेक्षा को, उस सीमा तक और उन अपवादों तथा शर्तों के आधार पर, छोड़ सकता है अथवा छूट दे सकता है, जोकि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।"

[एफ 2 (27) 96/कोआर्ड. (एच)/डीडीए]

विश्व मोहन बंसल, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1996

S.O. 449 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, in whose favour powers under Section 57 have been delegated vide Notification No. 18011 (28)/ 67-UD dated 14-2-1969 issued by the Govt. of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Deptt. of Health and Urban Development), New Delhi has added an additional Regulation No. 60 to DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations–1968 as amended uptodate, as under :—

"Regulation No. 60—Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Authority may dispense with or relax the requirement of any regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be specified by it."

[F. 2(27) 96/Coord(H)/ DDA]

V.M. BANSAL, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996